

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल,दिनांक 06/05/2010

क्रमांक एफ 46-01/2010/20-3 डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1409/98 द्वारा सुश्री प्रमिला कदम, विरूद्ध,म0प्र0 शासन में मान. उच्च न्यायालय,खण्डपीठ,इंदौर द्वारा दिनांक 31.01.2008 को पारित आदेश में सुश्री प्रमिला कदम,अशासकीय जैन कन्या उ.मा.वि.,मदसौर को दिनांक 11.10.1973 से व्याख्याता के पद पर विवादित अवधि के संबंध में 04 माह में अंतिम निराकरण तथा याचिकाकर्ता को विस्तृत संगत अभिलेख दो सप्ताह में प्रस्तुत करने व विस्तृत/स्पीकिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश का यथा समय पालन नहीं किये जाने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 81/2009 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मान.उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.2009 को पारित आदेश पर दि. 31.1.08 को पारित आदेश पर दो माह में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 31.1.2008 को पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 24.6.2008 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है -

- SB Lodhwa*
- (1) यह कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति जैन शिक्षण प्रसार समिति, मदसौर द्वारा दिनांक 11.10.1973 को लैक्चरर के पद पर की गई थी तथा वर्ष 1975-76 की स्टाफ लिस्ट में आवेदिका का नाम अंकित है,किन्तु समिति द्वारा उक्त दस्तावेजों को बोगस बताया जा रहा है। जबकि उक्त सूची में अन्य शिक्षकों के भी नाम सम्मिलित हैं। समिति द्वारा जानबूझकर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं।
  - (2) दिनांक 1.7.1985 को समिति के तत्कालीन प्रशासक एवं डिप्टी कलेक्टर, मदसौर द्वारा सयुक्त सचालक,उज्जैन को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सुश्री प्रमिला कदम की नियुक्ति 11.10.1973 को व्याख्याता के पद पर जैन कन्या उ.मा.वि. में हुई थी,परन्तु तत्कालीन कार्यकारिणी ने उन्हें नियम विरूद्ध दिनांक 1.8.1977 को पदावनत कर दिया था। इस सबंध में सक्षम अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गई।

- (3) यह कि संभागीय शिक्षक अधीक्षक, उज्जैन के पत्र दिनांक 19.10.1987 द्वारा संचालनालय लोक शिक्षण, म०प्र०, भोपाल को प्रेषित पत्र में आवेदिका को दिनांक 11.10.1973 से दिनांक 30.9.1975 तक व्याख्याता के पद पर कार्यरत होना दर्शाया गया है।
- (4) यह कि जैन शिक्षण प्रसार समिति, मदसौर के पत्र दिनांक 17.8.1991 द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण को प्रेषित पत्र में आवेदिका को 1973 से व्याख्याता के पद पर पदस्थ होने की जानकारी दी गई है।
- (5) यह कि श्रीमति विजया अहुलवालिया की नियुक्ति व्याख्याता के पद पर दिनांक 1.8.1975 को जैन कन्या उ.मा.वि. में हुई थी। वे 31.8.1978 तक निरंतर व्याख्याता के पद पर कार्यरत रही तथा दिनांक 1.9.1978 को उनकी व्याख्याता पद से प्रत्यावर्तित उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 27.7.1991 द्वारा श्रीमती अहुलवालिया को संस्था के प्रत्यावर्तन के आदेश को निरस्त कर दिनांक 1.8.1975 से श्रीमती अहुलवालिया को व्याख्याता मान्य किया गया। इसी प्रकार आवेदिका को भी दिनांक 11.10.1973 से व्याख्याता के पद पर मान्य किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया।
- (6) यह कि संस्था के आदेश दिनांक 29.6.1976 से शिक्षक के पद पर माना जा रहा है, जबकि उनकी नियुक्ति 11.10.1973 को व्याख्याता के पद से होनी थी, किन्तु उन्हें व्याख्याता के पद पर रहने के उपरांत भी शिक्षक/अध्यापिका के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया। दिनांक 1.7.1976 से उनके द्वारा सहायक अध्यापिका का कार्यभार गृहण करते समय मौखिक आपत्ति संस्था/विद्यालय में ली गई थी तथा समय-समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु त्रुटिवश उनकी कोई प्रतिलिपियाँ न रखने के कारण उनकी नियुक्ति दिनांक 11.10.1973 से व्याख्याता के पद पर मान्य नहीं की गई।
- (7) यह कि दिनांक 14.5.1998 को शासन द्वारा पारित आदेश मान. न्यायालय के दिनांक 31.1.2008 को पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के प्रकाश में उनका अभ्यावेदन स्वीकार कर दिनांक 11.10.1973 को जैन शिक्षण प्रसार समिति में व्याख्याता के पद पर मान्य किये जाने का अनुरोध किया है।

*Handwritten signature*


2/- याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार है -

- (1) दिनांक 5.5.1973 को कुमारी प्रमिला कदम द्वारा प्रशासक, जैन उमावि, मंदसौर का शिक्षिका के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है।
- (2) संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा पुस्तिका में दिनांक 1.7.1976 को निम्नश्रेणी शिक्षक के पद पर कुमारी प्रमिला कदम को नियुक्त किया गया है। सेवा पुस्तिका में आवेदिका के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। स्पष्ट है कि आवेदिका दि. 1.7.1976 से निम्नश्रेणी शिक्षिका के पद पर संस्था में नियुक्त हुई हैं।
- (3) वर्ष 1975-76 के संस्था की स्टाफ लिस्ट में कुमारी प्रमिला कदम का नाम अंकित है तथा उन्हें व्याख्याता के पद पर होना दर्शाया गया है, किन्तु कुमारी प्रमिला कदम अथवा संस्था द्वारा दिनांक 11.10.1973 से व्याख्याता के पद पर नियुक्ति संबंधी कोई पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। कुमारी कदम 11.10.1973 से व्याख्याता के पद पर संस्था द्वारा नियुक्ति की बात कह रही हैं, जबकि उन्होंने इस प्रकार का कोई नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
- (4) समिति के तत्कालीन प्रशासन एवं डिप्टी कलेक्टर, मंदसौर द्वारा दिनांक 1.7.1985 को प्रेषित पत्र में कुमारी कदम की मूल नियुक्ति दिनांक 11.10.1973 को व्याख्याता के पद पर होने दर्शाया गया है तथा दिनांक 1.8.1977 को पदावनत होना उल्लेख किया है जब दिनांक 1.7.1976 को कुमारी प्रमिला कदम निम्न श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत होकर नियुक्त थीं तो यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 1.7.76 से 1.8.77 तक दो-दो पदों पर एक ही अवधि में कैसे कार्यरत हो सकता है इसी प्रकार संभागीय शिक्षक अधीक्षक, उज्जैन संभाग के पत्र दिनांक 19.10.1987 द्वारा प्रमिला कदम को 11.10.1973 से 30.9.1975 तक व्याख्याता के पद पर कार्यरत होना दर्शाया है।

3/- श्रीमती विजय अहुलवालिया की व्याख्याता के पद पर 1.8.1975 से 31.8.1978 तक व्याख्याता के पद पर कार्यरत होने के प्रमाण उपलब्ध होने के उपरांत ही संचालनालय द्वारा उन्हें व्याख्याता के पद पर मान्य किया गया है, जबकि प्रमिला कदम द्वारा व्याख्याता पद की नियुक्ति/पदावनत संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

4/- प्रकरण में दिनांक 15.3.1993, 11.8.1995, 29.10.1997 एवं दिनांक 14.5.1998 द्वारा कुमारी कदम के अभ्यावेदन अमान्य किये जा चुके हैं। कुमारी प्रमिला कदम द्वारा पूर्व में दिये गये तथ्य के अलावा कोई नया प्रमाण/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि संस्था द्वारा उन्हें व्याख्याता के पद पर दिनांक 11.10.1973 से नियुक्ति दी गई थी, अपितु तत्कालीन प्रशासन तथा डिप्टी कलेक्टर, मंदसौर के पत्र दिनांक 1.7.1985 एवं सभागीय शिक्षक अधीक्षक, उज्जैन के पत्र दिनांक 19.10.1987 के अवलोकन से भी उन्हें व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के संबंध में पृथक-पृथक अवधि दर्शाना भी विरोधाभासी है। दि. 11.10.1973 से व्याख्याता पद की नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रमाण/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत कुमारी प्रमिला कदम का अभ्यावेदन एतद् द्वारा अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



( सी.बी.पडवार )

अवर सचिव


म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा क्रमांक एफ 46-01/2010/20-3

भोपाल, दिनांक 06/5/2010

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म०प्र०।
2. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, (विधि प्रकोष्ठ) सभाग, इंदौर, म०प्र०।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सभाग, उज्जैन, म०प्र०।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मंदसौर, म०प्र०।
5. सुश्री प्रमिला कदम द्वारा जैन कन्या उ.मा.वि., मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग